संख्या– ——— /XXIV-C-2/2023–25(4)22

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून दिनांक 18 सितम्बर, 2023

विषयः–उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना' संचालित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक वातावरण के विकास एवं विविधिकरण, शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण, पर्यावरण परिवर्तन, नई तकनीकों को बढावा दिए जाने तथा राजकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित प्राध्यापकों, संस्थागत छात्रों एवं संस्थागत शोध अध्येताओं को शोध कार्यों हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत निम्नानुसार **'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना'** संचालित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. यह योजना 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना' के नाम से जानी जाएगी।
2. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना की शुरूआत सत्र 2023–24 से प्रारम्भ होगी।
3. इस योजना का उद्देश्य राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध/अन्वेषण एवं नवाचार के वातावरण का सृजन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों और मूल्यों के अनुरूप उत्कृष्ट शिक्षा और शोध के केन्द्र के रूप में संस्थाओं को विकसित करते हुए शिक्षकों एवं छात्रों को शोध एवं नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना है।
4. इस योजना हेतु राज्य के शासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक तथा संबंधित संस्थानों में नियमित संस्थागत रूप में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं एवं शोध अध्येता पात्र होंगे। शोध प्रस्ताव में प्रमुख शोध अन्वेषक के साथ एक सह–शोध अन्वेषक भी आवेदक हो सकता है।
5. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन माध्यम से समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। समर्थ पोर्टल पर संस्था के शिक्षक/शोधार्थी द्वारा आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा अग्रसारित करना होगा अन्यथा स्वतः रूप से अगले स्तर के लिए अग्रेसित हो जाएगा। समर्थ पोर्टल पर आवेदन के विस्तृत दिशा–निर्देश विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे।
6. शोध हेतु व्यापक विषय क्षेत्र विज्ञान, कला एवं मानविकी, गृह विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन होगा किन्तु शोध हेतु अंर्तविषयक (Interdisciplinary) विषय क्षेत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। राज्य से संबंधित

शोध विषयों जिससे, सामाजिक, आर्थिक, समसामयिक अथवा अन्य विशिष्ट महत्व की उत्पादकता और उपादेयता सिद्ध होती हो, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। शोध प्रस्तावों में विशिष्ट समस्या समाधान और क्रियात्मक शोध विषयों (Problem and Action Based Research Programmes) को वरीयता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा विशिष्ट समस्याओं के समाधान के निमित्त अनुरोध के आधार पर भी शोध प्रस्तावों को आमंत्रित किया जा सकता है।

7. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना हेतु राज्य स्तरीय 'राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ चयन एवं मूल्यांकन समिति' का गठन किया जाएगा जिसका स्वरूप निम्नवत होगा–
   (1) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि
   (2) निदेशक, उच्च शिक्षा (संयोजक)
   (3) कुलपति गण, उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त राज्य विश्वविद्यालय
   (4) सदस्य– नियोजन विभाग द्वारा नामित सदस्य
   (5) सदस्य– प्रस्तावित शोध प्रस्ताव के विषय क्षेत्र के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित अकादमिक क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ, भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभाग से विशेषज्ञ, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य क्षेत्र/विषय/संस्थान से जैसा कि उपरोक्त समिति द्वारा गुणवत्तापरक शोध के अनुश्रवण हेतु आवश्यक समझा जाय।
8. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट की 10 प्रतिशत राशि का उपयोग शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि हेतु भी किया जा सकता है।
9. उक्त शोध प्रोत्साहन योजना हेतु दिया जाने वाला शोध अनुदान एक 'चैलेन्ज फण्ड' के रूप में होगा, जिसे राज्य स्तरीय राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति एवं वाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन (ऑनलाइन एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन) के पश्चात विभिन्न विषय श्रेणी में प्राप्त उत्कृष्ट शोध प्रस्तावों का चयन किया जाएगा, जिसके मानक प्रक्रिया समिति द्वारा तय किए जाएंगे।
10. शोध हेतु अनुदान की अधिकतम राशि की सीमा ₹15.00 लाख तक होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में अत्यंत महत्व के शोध हेतु राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति की संस्तुति के आधार पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए कुल ₹18.00 लाख तक अनुमन्य किया जा सकता है।
11. स्वीकृत शोध अनुदान राशि में 10 प्रतिशत राशि आकस्मिक निधि (Contingency Fund) के रूप में होगा।
12. शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अधिकतम दो वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा जिसे विशेष परिस्थितियों में राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति द्वारा आगामी 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है।
13. किसी भी शिक्षक/शोधार्थी को एक समय में केवल एक ही शोध परियोजना अनुमन्य होगी।
14. शोध की अनुदान राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी। शोध की अनुदान राशि संस्था के शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से दी जाएगी तथा जिसे प्रमुख शोध अन्वेषक (Principal Investigator) के लिखित अनुरोध पर शोध प्रस्ताव की रूपरेखा एवं आवश्यकता के आधार पर संबंधित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा प्रमुख शोधकर्ता/शोधार्थी को उपलब्ध

करायी जाएगी। संबंधित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा लिखित अनुरोध के अधिकतम तीन दिनों के अंदर यह राशि उपलब्ध करानी होगी अन्यथा स्पष्ट लिखित कारण सहित निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति को अवगत कराना होगा, जिस पर अंतिम निर्णय सचिव, उच्च शिक्षा/समिति द्वारा लिया जाएगा–

(1) प्रथम किस्त में 50 प्रतिशत अनुदान राशि शोध प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही जारी की जाएगी।

(2) दूसरी किस्त के रूप में 30 प्रतिशत की अनुदान राशि संतोषजनक कार्य करते हुए पूर्व स्वीकृत राशि का उपभोग प्रमाणपत्र, जो कि संबंधित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी, के प्रस्तुत करने तथा राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के समक्ष स्वीकृत शोध की शोध प्रगति आख्या की प्रस्तुति के उपरान्त ही देय होगी।

(3) तीसरी एवं अंतिम किस्त के रूप में 20 प्रतिशत की अनुदान राशि शोध कार्य पूर्ण करने के उपरान्त, हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में शोध ग्रंथ एवं पॉलिसी डॉक्युमेन्ट वर्किंग पेपर के रूप में राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति को उपलब्ध कराने तथा स्वीकृत शोध से संबंधित न्यूनतम दो शोध पत्रों के यू0जी0सी0 केयर लिस्ट/स्कोप्स आदि स्तरीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन, जो कि शोध स्वीकृति के पश्चात की तिथि का हो, को उपलब्ध कराने के उपरान्त जारी किया जाएगा।

15. शोध मौलिक होना चाहिए तथा यू0जी0सी0 द्वारा शोध की गुणवत्ता एवं मानकों के दिशा–निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। शोधार्थी को शोध की मौलिकता संबंधी प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। किसी भी प्रकार की अकादमिक चोरी/शोध/साहित्यिक चोरी (Plagiarism) अथवा यह सिद्ध होने पर की स्वीकृत राशि का उपयोग शोध कार्य की जगह किसी अन्य उद्‌देश्य से किया गया है तो उक्त की दशा में सम्पूर्ण स्वीकृत राशि की वसूली की जाएगी।

16. शोध कार्य पूर्ण होने के उपरान्त, शोध कार्य का समस्त कॉपीराइट/आई0पी0आर0, उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति के पास संरक्षित होगा। इस शोध कार्य के प्रकाशन कार्य हेतु प्रमुख शोधकर्ता/शोध अध्येता द्वारा राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त कर प्रकाशन का कार्य किया जा सकेगा, जिसमें यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि यह शोध कार्य मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन संपादित किया गया है।

17. स्वीकृत अनुदान का संपूर्ण रिकार्ड संस्थान स्तर पर धारित किया जाएगा जिसमें प्रमुख शोधार्थी सहित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

18. शोध अनुदान के व्यय में राज्य सरकार के व्यय एवं वित्त संबंधी लागू सुसंगत नियमों का पालन किया जाएगा तथा व्यय के समस्त लेखा रिकॉर्ड और अभिलेखों को अद्यतन रखेगा।

19. स्वीकृत अनुदान से किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

20. शोध अनुदान राशि से क्रय की गई समस्त पूंजीगत वस्तुएं जैसे कम्प्यूटर, पुस्तकें, लैब का सामान, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अथवा अन्य कोई वस्तु उस संबंधित संस्था की संपत्ति होगी जिसे शोध कार्य के दौरान संबंधित संस्था के माध्यम से क्रय किया गया हो। ऐसे किसी भी वस्तु को प्रमुख

शोधकर्ता द्वारा शोध कार्य की समाप्ति के पश्चात संबंधित संस्था के प्राचार्य/कुलसचिव के माध्यम से संस्था को देना होगा।

21. प्रमुख शोध अन्वेषक/सहायक शोध अन्वेषक का वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया से आच्छादित होने पर स्थानांतरण होने की दशा में, शोध कार्य के सुचारू संचालन हेतु राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति की अनुमति से प्रमुख शोध अन्वेषक के नवीन तैनाती स्थल (महाविद्यालय/संस्थान) पर शोध कार्य को स्थानान्तरित किया जा सकेगा। निदेशालय/क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरण की दशा में राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति की अनुमति प्राप्त कर निकटवर्ती महाविद्यालय की पूर्व सहमति से उक्त संस्थान में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

22. ऐसे शोध कार्य जो देश/राज्य के सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य समसामयिक विषयों के दृष्टिगत अति महत्व का है और उस शोध कार्य हेतु क्षेत्र विशेष में रहना आवश्यक हो तो ऐसे प्रकरणों में प्रमुख शोध अन्वेषक/सहायक शोध अन्वेषक द्वारा वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व पुष्ट कारण और आधार सहित लिखित अनुरोध निदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति के समक्ष करना होगा जिस पर वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत यथाप्रक्रिया कार्यवाही की जा सकेगी।

23. प्रस्तावित शोध कार्य हेतु आवश्यक होने पर संपूर्ण शोध कार्य अवधि के दौरान अधिकतम 10 शोध कार्य अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।

24. संस्थाओं में शोध वातावरण के सृजन और छात्रों को शोध गतिविधियों की ओर उन्मुख करने तथा शोध अध्येताओं को गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पांच लाख रूपए से अधिक राशि के स्वीकृत शोध प्रस्तावों के साथ अनिवार्य रूप से शोध सहयोगी के रूप संस्था के नियमित छात्र अथवा शोध अध्येताओं को शोध सहयोगी (Research Assistant) के रूप जोड़ा जाना होगा। संस्था से उपयुक्त छात्र/शोध अध्येता का चयन न हो सकने की दशा में ही अन्य निकटवर्ती संस्थान से उक्त का चयन किया जाएगा।

25. शोध कार्य हेतु शोध सहयोगी (Research Assistant) के प्रथम योगदान से शोध कार्य की समाप्ति की तिथि तक ₹5,000/– प्रति माह की दर से शोध मानदेय देय होगा, जो संस्था द्वारा शोध सहयोगी के खाते में डाला जाएगा। किसी अन्य संस्था द्वारा उक्त अवधि में किसी भी प्रकार के अन्य छात्रवृत्ति अथवा फेलोशिप प्राप्त होने की दशा में शोध सहयोगी (Research Assistant) उक्त हेतु अर्ह/पात्र नहीं होगा।

26. शोध कार्य के प्रति अरुचि दिखाने, अनुशासनहीनता करने अथवा त्यागपत्र देने की अवस्था में महाविद्यालय की शोध एवं विकास समिति द्वारा लिखित रूप में प्रमाण प्रस्तुत करते हुए शोध सहयोगी को हटाया जा सकता है।

27. शोध कार्य समाप्ति के पश्चात शोध अन्वेषक यू0जी0सी0, डी0एस0टी0 आदि संस्थाओं से वृहद शोध प्रस्ताव हेतु प्रयास करेगा।

28. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार संचालित होगी।

29. राज्य शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति आवश्यक रूप से वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक करेगी। समिति आवश्यक होने पर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से कभी भी बैठक कर सकती है।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय—व्ययक के अनुदान संख्या 11 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—800—अन्य व्यय—17—एन0ई0पी0 के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना—42—अन्य विभागीय व्यय मद से वहन किया जायेगा।

3— यह आदेश वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन के ई—जेनरेटेड संख्या I/153814/2023, दिनांक 13/09/2023 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या—154824 (1)/ XXIV-C-2/2023—25(4)22 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. समस्त कुलपति/कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
8. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
10. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनु0—3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ0सं0: डिग्री छात्रवृत्ति/ 3882 /2023—24 ~~2023~~ दिनांक 27/09/23 ~~सितम्बर,~~

प्रतिलिपि — समस्त शासकीय प्राचार्य/परिसर निदेशक/कुलसचिव राज्य विश्वविद्यालय को इस आशय से प्रेषित की वे अपने स्तर से **'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना''** को प्रचार—प्रसार हेतु अपनी आधिकारिक बेवसाइट तथा सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने हुए आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

27/9/23
(डॉ0 एच0 एस0 नयाल)
उप—निदेशक
कृते—निदेशक (उच्च शिक्षा)